

# बिहार गजट

# असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1944 (श0) (सं0 पटना 815) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2022

निर्वाचन विमाग

अधिसूचना ७ अक्तूबर 2022

संव बी1—3—65/2022—168—विहार विद्यान सभा का उप निर्वाचन, 2022— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की घारा 150 की उप धारा (1) और धारा—30 और धारा—56 के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान सभा में 101—गोपालगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 178—मोकामा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 178—मोकामा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 178—मोकामा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से कराये जाने वाले उप निर्वाचन से संवंधित भारत निर्वाचन आयोग, गई दिल्ली की अधिसूचना संख्या—100/पूर्व अनु0—1/बिहार—वि.स./3/2022 दिनांक 07.10.2022 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

विहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव --सह--संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

## भारत निर्वाचन आयोग

# अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001, तारीख 7 अक्टूबर 2022/ 15 आश्विन, 1944 (शक) सं0 100 /पूर्व अनु0-1/बिहार-वि.स./02/2022:- यत: बिहार राज्य की विधान सभा में 101-गोपालगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सुबाष सिंह के आकस्मिक निधन हो जाने के परिणाम स्वरूप दिनांक 16 अगस्त, 2022 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- यत: इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;और
- अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम. 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30
   और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-
  - (अ) विहार राज्य से उक्त 101-गोपालगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 08 नवंबर, 2022 (मंगलवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें:

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :-

क.	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	14 अक्टूबर, 2022 (शुक्रवार)
ख.	नाम निर्देशनों की संबीक्षा की तारीख	:	15 अक्टूबर, 2022 (शनिवार)
ग.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	17 अक्टूबर, 2022 (सोमवार)
घ.	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	03 नवंबर, 2022 (बृहस्पतिबार)
ङ.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	08 नवंबर, 2022 (मंगलवार)

नियत करता है;और

(इ) 07:00 बजे पूर्वाह से 06:00 बजे अपराह तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से, 'सुजीत कुमार मिश्र, 'सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग ।

## **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

#### NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 07th October, 2022/15 Ashwin, 1944 (Saka)

No.100/ES-1/BR-LA/2/2022- WHEREAS, the seat of Sh. Subash Singh, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 101-Gopalganj Assembly Constituency in the State, has become vacant on 16<sup>th</sup> August, 2022 by reason of his death; and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
  - (A) Calls upon the said 101-Gopalganj Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 08<sup>th</sup> November, 2022 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
  - (B) Appoints, with respect to the said election:-

(a)	the 14 <sup>th</sup> October, 2022 (Friday)	;	as the last date for making nominations;			
(b)	the 15 <sup>th</sup> October, 2022 (Saturday)	:	as the date for the scrutiny of nominations;			
(c)	the 17 <sup>th</sup> October, 2022 (Monday)	:	as the last date for the withdrawal of candidatures;			
(d)	the 03 <sup>rd</sup> November, 2022 (Thursday)	:	as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and			
(c)	the 08 <sup>th</sup> November, 2022 (Tuesday)	:	as the date before which the election shall be completed; and			

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

# भारत निर्वाचन आयोग

# अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001, तारीख 7 अक्टूबर 2022/15 आश्विन, 1944 (शक) सं० 100/पूर्वअनु0-1/विहार-वि.स./3/2022: यतः विहार राज्य की विधान समा में 178-मोकामा विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अनंत कुमार सिंह के विरुद्ध दोपसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 की घारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद-191 (1)(e) के प्रावधानों के तहत निरहिंत किये जाने के कारण दिनांक 21 जून, 2022 से स्थान रिक्त हो गया है.

यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को गरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन कराया जाना है; और

- 3. अतः, अयं, लोकं प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की घारा 150 की उपघारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः—
  - (अ) विहार राज्य से उक्त 178—मोकामा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 8 नवम्यर, 2022 से पूर्व राज्य की विधान सभा में की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें:

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:--

क,	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	14 अक्टूबर, 2022 (शुक्रवार)
ਚ,	नाम निर्देशनों की संबीक्षा की तारीख	:	15 अक्टूबर, 2022 (शनिवार)
ग.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	17 अक्टूबर, 2022 (सोमवार)
<b>घ</b> .	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	03 नवंबर, 2022 (बृहस्पतिबार)
<b>ਫ</b> .	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्नकरा लिया जाएगा	:	08 नवंबर, 2022 (भंगलवार)

# नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाहन से 6.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान. यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

> आदेश से, सुजीत कुमार मिश्र, सचिव, भारत निर्योचन आयोग।

#### **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

#### NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 07th October, 2022/15 Ashwin, 1944 (Saka)

No.100/ES-1/BR-LA/3/2022- WHEREAS, the seat of Sh. Anant Kumar Singh, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 178-Mokama Assembly Constituency in the State, has become vacant on 21<sup>st</sup> June, 2022 by reason of his becoming subject to disqualification under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 and Article 191 (1) (e) of the Constitution; and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy; and
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 178-Mokama Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 08<sup>th</sup> November, 2022 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election:-
  - (a) the 14<sup>th</sup> October, 2022 : As the last date for (Friday) making nominations;
  - (b) the 15<sup>th</sup> October, 2022 : as the date for the scrutiny (Saturday) of nominations;
  - (c) the 17<sup>th</sup> October, 2022 : as the last date for the withdrawal of (Monday) candidatures;
  - (d) the 03<sup>rd</sup> November, 2022 : as the date on which a poll shall, if (Thursday) necessary, be taken;
  - (e) the 08<sup>th</sup> November, 2022 : as the date before which the election (Tuesday) shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, विहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। विहार गजट (असाधारण) 815-571+50-डी०टी०पी०। Website: http://egazette.bih.nic.in